CGRG010018862022

Presented on : 10-10-2022
Registered on : 02-11-2022
Decided on : 19-12-2024
Duration : 2 years, 2 months, 9 days

न्यायालय- चतुर्थ जिला न्यायाधीश, रायगढ़, जिला- रायगढ़ (छ०ग०)
(पीठासीन अधिकारी- विरेन्द्र)

मिसलेनियस सिविल अपील क्रमांक-**23/2022**
संस्थित दिनांक 11.10.2022

01. श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा साखरे,
उम्र 62 वर्ष, पति सुरेश साखरे,
निवासी- द्वारा पी, अययपा राम मुर्ति,
पंजाबी गुरूद्वारा के पीछे, कामठी रोड नागपुर,
तहसील व जिला नागपुर (महाराष्ट्र)
वर्तमान पता- राष्ट्रटावर फ्लेट नंबर 401,
ब्रम्हपुरी रायपुर नियर बुढ़ातालाब रायपुर (छ.ग.)
मोबाईल नंबर 9827963155 .... **अपीलार्थी/आवेदिका**

-// विरुद्ध //-

01/ मोहनलाल आ० पंचराम जाति- अघरिया
उम्र लगभग 79 वर्ष, निवासी-ग्राम नवापाली
तहसील पुसौर जिला रायगढ (छ.ग.)

02/ अरविंद कुमार पण्डा **(मृत)**
2 अ- आलोक पण्डा आ० स्व. अरविंद पण्डा,
उम्र- लगभग 32 वर्ष, पेशा प्राईवेट नौकरी,
2 ब- आदित्य पण्डा आ० स्व अरविंद पण्डा,

उम्र- लगभग 30 वर्ष, पेशा प्राईवेट नौकरी,
2 स- सुजाता पण्डा बेवा अरविंद पण्डा,
उम्र- 52 वर्ष, पेशा- कृषि ,
निवासी- बड़े हल्दी, तहसील पुसौर जिला रायगढ (छ.ग.)
03/ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
जिला कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) ....**उत्तरवादीगण/अनावेदकगण**

न्यायालय- श्री दीपक कुमार कोशले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01, रायगढ़ द्वारा विविध व्यवहार वाद क्रमाँक 33/15 (श्रीमती प्रतिभा पण्डा विरूद्ध अरविंद कुमार पण्डा वगैरह) में दिनांक 03.09.2022 को पारित आदेश से उद्भूत ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर० के ० साहू अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमाँक-01 के वारिसानों की ओर से श्री एच.आर. नायक अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमाँक-02 के वारिसानों की ओर श्री यशवंत गुप्ता अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमाँक-03 की ओर से सुश्री वंदना केशरवानी शासकीय अभिभाषक ।

-:: आदेश ::-

(**आज दिनांक- 19 दिसम्बर, 2024 को घोषित**)

(1) यह कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में श्री दीपक कुमार कोशले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01, रायगढ़, के समक्ष एक व्यवहार वाद घोषणा करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो व्यवहार वाद क्रमांक 179 अ/2013 के रूप में पंजीबद्ध था, जो दिनांक 30.03.2015 को अधीनस्थ न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वगैरह-1 रायगढ के समक्ष आवेदिका/पूर्व वादी के अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज किया गया है । जिसे निरस्त कर प्रकरण को गुणदोष के आधार पर सुनवाई किये जाने हेतु पुनर्स्थापित करने के लिए आदेश 09 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत की थी ।

(2) यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रावधानो के विपरीत प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 03.09.2022 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 09 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करते हुए समयावधि में

अभिलेखागार प्रेषित करने का आदेश पारित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अपील विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

(3) :- <u>अपील के आधार</u> :-

A) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2022 विधि प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

B) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना समझकर आदेश पारित किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में उसके अनुपस्थिति में मूल वाद को अदम पैरवी में खारिज प्रकरण को गुणदोष के आधार पर सुनवाई करने हेतु आदेश 09 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत पुनर्स्थापित करने के लिए प्रस्तुत की थी, जिसे समझने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि का गंभीर भूल कर दिनांक 03.09.2022 को आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

C) विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापित आवेदन को अनावश्यक रूप से 07 माह पश्चात प्रस्तुत किया जाना माना गया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा उसके वाद को अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी के पश्चात प्रस्तुत की है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2022 निरस्त किये जाने योग्य है ।

D) विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 03.09.2022 की अंतरवर्णित निष्कर्ष एक दुसरे के परस्पर विरोधाभाषी निष्कर्ष होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

E) अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद को पुनर्स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत 09 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के साथ एक पृथक से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत की थी, जिसमें मूल वाद को पुनर्स्थापित करने में हुए विलंब से चूक पाने के लिए उचित सद्भावित एवं पश्चात कारण दर्शित की थी । जिस पर अविश्वास कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोचित आदेश दिनांक 03.09.2022 को पारित करते हुए अपीलार्थी के आवेदन को निरस्त किया गया है, जो स्थिर रखने योग्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

F) वरिष्ठतम न्यायालयो द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के सुनवाई उदारतापूर्वक

किये जाने का एवं मात्र तकनीकी त्रुटि के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य एवं मूल प्रकरण को गुणदोष के आधार पर निराकरण किये जाने का अभितन विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित किया गया । इस ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान देकर आलोचित आदेश पारित किया गया है इसलिए पारित आदेश दिनांक 03.09.2022 निरस्त किये जाने योग्य है ।

G) अपीलार्थी को उसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल प्रकरण को अदम पैरवी की कार्यवाही को निरस्त करवाने के लिए कार्यवाही किये जाने का प्रावधान परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रावधानिक है, जिसमे संबंधित कार्यवाही की प्रतिलिपी प्राप्त करने की अवधि को बताया जाता है, लेकिन उक्त विधिक प्रावधानो को समझने में गंभीर भूल करते हुए विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को समय बाधिक मानकर विलंबित माना गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

H) अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ एक आवेदन अंतर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर विलंब से छूट प्रदान करने हेतु जो कारण बताई है उसमें से एक कारण यह भी है कि अपीलार्थी अपने अधिवक्ता द्वारा पूर्व मे दिये गये आश्वासन से आश्वस्त होकर तथा अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए दिये गये आश्वासन के आधार पर उपस्थित नही हो पाने के कारण दर्शित की है जिसके विपरीत उक्त आधार को कारण नही बनाया जाना मानकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित किया गया है इसलिए आलोचित आदेश दिनांक 03.09.2022 निरस्त किये जाने योग्य है ।

I) अपीलार्थी विद्वान विचारण न्यायालय से दूरस्थ नागपुर(महाराष्ट्र) में अपने पति के साथ निवास करती है इसलिए अपीलार्थी को उसके अधिवक्ता द्वारा आवश्यक सुनवाई तिथि में बुलाने का आश्वासन दिया गया था जिसके कारण विद्वान न्यायालय द्वारा अधिवक्ता की अनुपस्थिति की सजा पक्षकार को नही दिया जाना चाहिए था और अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 09 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार

कर प्रकरण को गुणदोष के आधार पर निराकृत किया जाना चाहिए था । जो नही किया गया है इसलिए आलोचित ओदश दिनांक 03.09.2022 निरस्त किये जाने योग्य है ।

J) विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.09.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्ति हेतु दिनांक 06.09.2022 को आवेदन पत्र की प्रस्तुत की गई थी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी उसे दिनांक 12.09.2022 को प्राप्त हुई है तथा दिनांक 08.10.2022 एवं 09.10.2022 को अवकाश होने के कारण आज दिनांक को यह विविध अपील अपने निर्धारित समयावधि के भीतर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करती है ।

अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षिप्त आदेश को अपास्त कर यह अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना है ।

(4) उत्तरवादी की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को समुचित होने से यह अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(5) अब इस प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न **विचारणीय प्रश्न** उत्पन्न होते है कि :- **"क्या आक्षिप्त आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है" ?**

<u>सकारण निष्कर्ष</u>

(6) संपूर्ण अभिलेख का समग्रतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा समस्त परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया।

(7) उभयपक्षो की ओर से जो न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है उनमें विलंब समय में उत्तरवादी दृष्टिकोण अपनाने को निर्धारित किया गया है तथा यह भी निर्धारित किया है कि यदि पक्षकार शिक्षित व समझदार हो तथा न्यायालय में विलंब का समुचित आधार ना बताया हो और न्यायालय के समक्ष तथ्यो को छिपाया गया हो तो ऐसी स्थिति में विलंब को क्षमा नही किया जाना चाहिए । विलंब को क्षमा किये जाने के पर्याप्त परिस्थितिया होनी चाहिए । अतएव विलंब प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक ने जो विलंब का कारण बताया है वह सद्भावना प्रतीत नही होता है । ऐसी स्थिति में मूल वाद के अवलोकन के पश्चात आवेदक की अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण दर्शित नही होता है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत धारा **5** परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । आवेदन के साथ आदेश **43** नियम **1 (ग)** सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन पत्र भी विलंब के कारण निरस्त किया जाता है ।

(8) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा, आदेशों को ध्यान में रखते हुए इन धाराओं एवं आदेशों का अवलोकन किया गया-

धारा **104.** वे आदेश जिनकी अपील होगी -(1) निम्नलिखित आदेशो की अपील होगीः-

[(चच) धारा 35-क के अधीन आदेश;]

[(चचक) धारा 91 या धारा 92 के अधीन , यथास्थिति धारा 91 या धारा 92 में निर्दिष्ट प्रकृति के वाद को संस्थित करने के लिए इजाजत देने से इंकार करने वाला आदेश ;]

(छ) धारा 95 के अधीन आदेश;

(ज) इस संहिता के उपबन्धों में से किसी के भी अधीन ऐसा आदेश, जो जुर्माना अधिरोपित करता है या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट करता है, वहाँ के सिवाय जहाँ कि ऐसा गिरफ्तारी या निरोध किसी डिक्री के निष्पादन में है ।

(झ) नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात है , और इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा और उपबन्धत के सिवाय किन्ही भी अन्य आदेशो की अपील नही होगी ।

[परंतु खंड में विनिर्दिष्ट किसी भी आदेश की कोई भी अपीील केवल इस आधार पर ही होगी कि कोई आदेश किया ही नही जाना चाहिए था या आदेश कम रकम के संदाय के लिए किया जाना चाहिए था ।]

इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई भी अपील नही होगी ।

(9) **आदेश 43 आदेशों की अपीलें**- 1. **आदेशों की अपीलें -** धारा 104 के उपबंधो के अधीन निम्नलिखित आदेशो की अपील होगी अर्थात्-

(क) वाद पत्र उचित न्यायालय में उपस्थित किए जोन के लिए लौटाने का आदेश, जो आदेश 7 नियम 10 के अधीन दिया गया हो, [सिवाय उस दशा में जब आदेश 7 के नियम 10-क में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो]

(ख) वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 के नियम 9 के

अधीन दिया गया हो ।

(10) **<u>आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया सहिता-</u>**

व्यतिक्रम के कारण वादी के विरूद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है-

1. जहाँ वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहाँ वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा । किंतु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी उस समय उसकी अनुपसंजाति के लिए पर्याप्त हेतुक था तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ।

2. इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नही किया जायेगा जब तक कि आवेदन की सूचना की तामीली विरोधी पक्षकार पर न कर दी गई हो ।

(11) **<u>आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया सहिता-</u>**

एकपक्षीय डिक्रियों को अपास्त करना - प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना- किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नही की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय मे जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे , न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहाँ तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ।

परंतु जहाँ डिक्री ऐसा है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नही की जा सकती वहाँ वह अन्य सभी प्रतिवादीयों या उनमें से किसी या किन्ही के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी ।

[परंतु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस अधार पर अपास्त नही करेगा कि समय की तामील में अनियमितता हुई थी।]

(12) आवेदिका की ओर से उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया गया है कि**,** उसके विरुद्ध दिनाँक **30/03/2015** को की गयी एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त व्यवहार वाद क्रमाँक **179** अ**/2013** में दिनाँक **30/03/2015** को न्यायालय के समक्ष आवेदिका**/**पूर्व वादी के अनुपस्थित रहने तथा उसकी ओर से प्रकरण में कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं होने से उसके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। जिसकी जानकारी आवेदिका को पूर्व में नहीं थी। तत्पश्चात् आवेदिका अपने पारिवारिक कार्य से दिनाँक **15/08/2015** को रायगढ़ आयी थी और दिनाँक **19/08/2018** प्रकरण के संबंध में हुये प्रगति के बारे में अपने पूर्व अधिवक्ता से संपर्क किये जाने पर उक्त प्रकरण में दिनाँक **30/03/2015** को आवेदिका के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना बताया गया। जिसके संबंध में आवेदिका को जानकारी नहीं थी। दिनाँक **02/09/2015** को आवेदिका के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की जानकारी प्राप्त हुयी। अतः पेशी की जानकारी नहीं होने से विधिवत् समयावधि के भीतर अपास्त किये जाने हेतु आवेदिका के द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण में हुये विलंब परिस्थितिजन्य एवं सद्भाविक है। आवेदन के समर्थन में आवेदिका के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदक क्रमाँक **01** की ओर से उक्त आवेदन का लिखित जवाब पेश कर अधिकांश अभिवचनों को अस्वीकार कर कथन किया गया है कि**,** अधिवक्ता का दायित्व प्रकरण में मात्र उपस्थिति देने का नहीं है बल्कि विधिक कार्यों को सम्पादित करने का है। उक्त प्रकरण में आवेदिका को पेशी दिनाँक की जानकारी होने के बावजूद भी आवेदिका जानबूझकर पेशी दिनाँक को उपस्थित नहीं होती रही है तथा आवेदिका को उसके अधिवक्ता के माध्यम से यह जानकारी भी प्राप्त हो चुकी थी कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। अनावेदक क्रमाँक **01** की ओर से अतिरिक्त कथन करते हुये यह भी निवेदन किया गया है कि**,** आवेदिका की ओर से प्रस्तुत पुनर्स्थापन हेतु आवेदन विहित समय **30** दिवस के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुये **07** माह पश्चात् प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदन प्रस्तुति में हुये प्रत्येक दिन के विलंब के कारण को आवेदन में दर्शाया नहीं गया है। अतः निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अनावेदक क्रमाँक **02** की ओर से आवेदिका की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन का लिखित जवाब पेश कर अधिकांश अभिवचनों को अस्वीकार कर यह निवेदन किया गया है कि**,** आवेदिका के द्वारा विलंब से प्रकरण पुनर्स्थापित कराये जाने हेतु न्यायोचित

कारण नहीं दर्शाया गया है तथा दिनाँक **30/03/2015** से **31/03/2015** के मध्य अवधि के प्रत्येक दिवस पर विशिष्ट परिस्थितियाँ नहीं दर्शाया गया है ऐसी परिस्थिति में मात्र धारा **5** परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देना ही विलंब क्षमा करने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा यह भी व्यक्त किया गया है कि आवेदिका के द्वारा दिनाँक **30/03/2015** के आदेश की जानकारी दिनाँक **19/08/2015** को अपने अधिवक्ता से प्राप्त नहीं कर तथा आवेदन पत्र की कंडिका **03** में दर्शाया गया है कि**,** आवेदिका के उक्त आवेदन से ही उसके अधिकृत अधिवक्ता से उसका प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी वास्तविक एवं अधिकृत रुप से दिनाँक **19/08/2015** को होने का जो कथन किया है वह मान्य किये जाने योग्य नहीं है। वहीं आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र विलंब से प्रस्तुत किये जाने का दर्शाया गया कारण न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि**,** आवेदिका के द्वारा इस प्रकरण के अनावेदकगण के विरुद्ध दिनाँक **30/07/2013** को व्यवहार वाद स्वत्व की घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं दिनाँक **20/09/1993** को खसरा नंबर **238, 239** कुल रकबा **0.417** हेक्टेयर भूमि के संबंध में निष्पादित विक्रय पत्र निरस्त किये जाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादी क्रमाँक **01** एवं **02** की उपस्थिति सुनिश्चित हो चुकी थी। उक्त वाद प्रतिवादी क्रमाँक **03** की उपस्थिति के स्तर पर नियत था। दिनाँक **30/03/2015** को वादिनी की अनुपस्थिति के कारण उक्त व्यवहार वाद क्रमाँक **179** अ**/2013** प्रतिभा पण्डा बनाम अरविंद पण्डा वगैरह अदम पैरवी में निरस्त किया गया है। आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा **5** परिसीमा अधिनियम में दिनाँक **30/03/2015** को मूल व्यवहार वाद वादिनी तथा उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं रहने के कारण उक्त प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज किया जाना पारिवारिक कार्य से दिनाँक **15/08/2015** को रायगढ़ आने पर दिनाँक **19/08/2015** को अपने अधिवक्ता से संपर्क किये जाने पर उनके द्वारा उक्त प्रकरण दिनाँक **30/03/2015** को अदम पैरवी में खारिज हो जाने की बात बताये जाने पर आवेदिका के द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की नकल दिनाँक **02/09/2015** को उसके अधिवक्ता से प्राप्त होने के उपरांत उक्त तिथि को ही प्रथम बार दिनाँक **30/03/2015** को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी होना बताते हुये उक्त आवेदन प्रस्तुत किया जाना व उपरोक्त आधारों पर उक्त आवेदन

प्रस्तुत किये जाने में विलंब कारित होना बताते हुये उक्त विलंब क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा **5** परिसीमा अधिनियम की कंडिका **03** में स्वयं आवेदिका के द्वारा ही दिनाँक **15/08/2015** को रायगढ़ आने पर दिनाँक **19/08/2015** को अपने अधिवक्ता से संपर्क किये जाने पर पूर्व अधिवक्ता के द्वारा उक्त प्रकरण दिनाँक **30/03/2015** को अदम पैरवी में खारिज हो जाना बताया गया है। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन की कंडिका **03** में उल्लेखित उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आवेदिका को उसके मूल प्रकरण दिनाँक **30/03/2015** को अदम पैरवी में खारिज हो जाने की जानकारी आवेदिका को दिनाँक **18/09/2015** को ही हो गयी थी जबकि आवेदिका ने अपने आवेदन की कंडिका **03** के आगे आवेदिका के मूल प्रकरण दिनाँक **30/03/2015** को अदम पैरवी में खारिज हो जाने की जानकारी दिनाँक **02/09/2015** को होना बताया है। इस तरह आवेदिका की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन में ही आवेदिका को उसका मूल प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी होने संबंधी किये गये कथनों में ही परस्पर विरोधाभास है। यह मान भी लिया जाये कि आवेदिका को उसकी ओर से प्रस्तुत मूल व्यवहार वाद के अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी दिनाँक **02/09/2015** को हुयी है तब भी आवेदिका की ओर से उक्त आवेदन दिनाँक **02/09/2015** के पश्चात तत्काल प्रस्तुत न कर दिनाँक **21/09/2015** को **19** दिन पश्चात् विलंब से प्रस्तुत किया गया है जिसका भी विलंब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह भी बताया गया है कि वह अपने पूर्व अधिवक्ता के द्वारा दिये गये आश्वासन पर आश्वस्त होकर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं थी इसलिये माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है। वहीं उपरोक्त परिपेक्ष्य में ही आवेदिका के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि**,** उनके पूर्व अधिवक्ता के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था जिस पर आश्वस्त होकर वह नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुयी वहीं मूल प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि आवेदिका के द्वारा दिनाँक **30/07/2013** को अनावेदकगण के विरुद्ध जो व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है उक्त व्यवहार वाद प्रस्तुति तिथि के पश्चात् दिनाँक **30/03/2015** की तिथि तक में आवेदिका उक्त व्यवहार वाद में भी कभी उपस्थित नहीं रही है। आवेदिका ने अपने आवेदन में पारिवारिक कार्य से दिनाँक **15/08/2015** को रायगढ़ आने के पश्चात् दिनाँक **19/08/2015** को प्रकरण के संबंध में अपने पूर्व अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण की प्रगति के बारे में जानकारी दिया जाना तो बताया है किंतु दिनाँक

15/08/2015 के पूर्व तक अपने अधिवक्ता से अपने उक्त प्रकरण के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी क्यों नहीं ली गयी थी**,** इसका भी कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। इस तरह आवेदिका के द्वारा उक्त प्रकरण में पेशी दिनाँक **19/08/2015** को अपने मूल प्रकरण के अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी होने के उपरांत आवेदन प्रस्तुति दिनाँक **21/09/2015** के मध्य प्रत्येक दिवस में हुये विलंब को भी नहीं दर्शाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा **5** परिसीमा अधिनियम में दिनाँक **21/09/2015** को प्रस्तुत आवेदन विलंब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण दर्शाया गया है वह न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा **5** परिसीमा अधिनियम **निरस्त** किया जाता है।

(13) दिनांक **30.03.2015** को आवेदिका/पूर्व की वादी अनुपस्थित और उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नही होने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है ।

क्र०	**केस की प्रकृति / संख्या**	**शीर्षक**	**विचारण न्यायालय का खारिज दिनांक**	**विलंब से प्रस्तुती दिनांक**	**समयांतर (खारिज दिनांक और विलंब से प्रस्तुती दिनांक)**
1.	मिस्लेनियस सिविल अपील 23/2022	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / मोहन लाल वगैरह	30.3.2015	21.09.2015	5 माह 22 दिन
2.	मिस्लेनियस सिविल अपील 24/2022	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / सुभाष साहू	12.05.2015	21.09.2015	4 माह 9 दिन
3.	मिस्लेनियस सिविल अपील 25/2022	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / उमेश कुमार वगैरह	30.3.2015	21.09.2015	5 माह 22 दिन
4.	मिस्लेनियस	श्रीमती प्रतिभा पंडा	30.03.2015	29.09.2015	5 माह 30

	सिविल अपील 26/2022	उर्फ सुमेधा / अरविंद कुमार पंडा			दिन
5.	मिस्लेनियस सिविल अपील 27/2022	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / अरविंद कुमार पंडा	30.03.2015	29.09.2015	5 माह 30 दिन
6.	मिस्लेनियस सिविल अपील 28/2022	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / शकुन्तला देवी वगैरह	11.05.2015	21.09.2015	4 माह 10 दिन
7.	मिस्लेनियस सिविल अपील 29/2022	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / सेलकुवंर वगैरह	11.05.2015	21.09.2015	4 माह 10 दिन
8.	मिस्लेनियस सिविल अपील 30/2022	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / बजरंग सिंघल वगैरह	16.04.2015	21.09.2015	5 माह 5 दिन
9.	मिस्लेनियस सिविल अपील 31/2022	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / मोहन लाल वगैरह	16.04.2015	21.09.2015	5 माह 5 दिन
10.	मिस्लेनियस सिविल अपील 32/2022	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / टिहलूराम वगैरह	12.05.2015	21.09.2015	4 माह 9 दिन
11.	मिस्लेनियस सिविल अपील 03/2023	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / जतीन टांक वगैरह	11.05.2015	21.09.2015	4 माह 10 दिन
12.	मिस्लेनियस सिविल अपील 05/2023	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / हेमराम नायक वगैरह	30.03.2015	21.09.2015	5 माह 22 दिन
13.	मिस्लेनियस सिविल अपील 06/2023	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / महिपत लाल वगैरह	12.05.2015	01.01.2016	7 माह 20 दिन
14.	मिस्लेनियस	श्रीमती प्रतिभा पंडा	12.05.2015	21.09.2015	4 माह 9 दिन

	सिविल अपील 07/2023	उर्फ सुमेधा / श्रीमती मथुराबाई वगैरह			
15.	मिस्लेनियस सिविल अपील 08/2023	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / श्रीमती बुधियारिन वगैरह	12.05.2015	21.09.2015	4 माह 9 दिन
16.	मिस्लेनियस सिविल अपील 15/2023	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / शंकर लाल चांवला वगैरह	23.04.2016	13.06.2016	1 माह 21 दिन
17.	मिस्लेनियस सिविल अपील 16/2023	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / भजन लाल चांवला वगैरह	23.04.2016	13.06.2016	1 माह 21 दिन
18.	मिस्लेनियस सिविल अपील 17/2023	श्रीमती प्रतिभा पंडा उर्फ सुमेधा / भजन लाल चांवला वगैरह	23.04.2016	13.06.2016	1 माह 21 दिन

(14) PATHPATI SUBBA REDDY (DIED) VS THE SPECIAL DEPUTY COLLECTOR (LA) 2024 INSC 286

The law of limitation is founded on public policy. It is enshrined in the legal maxim "interest reipublicae ut sit finis litium" i.e. it is for the general welfare that a period of limitation be put to litigation. The object is to put an end to every legal remedy and to have a fixed period of life for every litigation as it is futile to keep any litigation or dispute pending indefinitely. Even public policy requires that there should be an end to the litigation otherwise it would be a dichotomy if the litigation is made immortal vis-a-vis the litigating parties i.e. human beings, who are mortals.

The courts have always treated the statutes of limitation and prescription as statutes of peace and repose. They envisage that a right not exercised or the remedy not availed for a long time ceases to exist. This is one way of putting to an end to a litigation by barring the remedy rather than the right with the passage of time.

Section 3 of the Limitation Act in no uncertain terms lays down that no suit, appeal or application instituted, preferred or made

after the period prescribed shall be entertained rather dismissed even though limitation has not been set up as a defence subject to the exceptions contained in Sections 4 to 24 (inclusive) of the Limitation Act.

Section 3(1) of the Limitation Act, for the sake of convenience, is reproduced hereinbelow: “3. Bar of limitation.- (1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.”

In **Collector, Land Acquisition, Anantnag and Ors. vs. Katiji and Ors.2 (1987) 2 SCC 107** , this Court in advocating the liberal approach in condoning the delay for ‘sufficient cause’ held that ordinarily a litigant does not stand to benefit by lodging an appeal late; it is not necessary to explain every day’s delay in filing the appeal; and since sometimes refusal to condone delay may result in throwing out a meritorious matter, it is necessary in the interest of justice that cause of substantial justice should be allowed to prevail upon technical considerations and if the delay is not deliberate, it ought to be condoned. Notwithstanding the above, howsoever, liberal approach is adopted in condoning the delay, existence of ‘sufficient cause’ for not filing the appeal in time, is a condition precedent for exercising the discretionary power to condone the delay. The phrases ‘liberal approach’, ‘justice oriented approach’ and cause for the advancement of ‘substantial justice’ cannot be employed to defeat the law of limitation so as to allow stale matters or as a matter of fact dead matters to be revived and re-opened by taking aid of Section 5 of the Limitation Act.

It must always be borne in mind that while construing ‘sufficient cause’ in deciding application under Section 5 of the Act, that on the expiry of the period of limitation prescribed for filing an appeal, substantive right in favour of a decree-holder accrues and this right ought not to be lightly disturbed. The decree-holder treats the decree to be binding with the lapse of time and may proceed on such assumption creating new rights.

In **Maqbul Ahmad and Ors. vs. Onkar Pratap Narain Singh and Ors..I.R. 1935 PC 85,** it had been held that the court cannot

grant an exemption from limitation on equitable consideration or on the ground of hardship. The court has time and again repeated that when mandatory provision is not complied with and delay is not properly, satisfactorily and convincingly explained, it ought not to condone the delay on sympathetic grounds alone.

In this connection, a reference may be made to **Brijesh Kumar and Ors. vs. State of Haryana and Ors.2014 (4) SCALE 50** wherein while observing, as above, this Court further laid down that if some person has obtained a relief approaching the court just or immediately when the cause of action had arisen, other persons cannot take the benefit of the same by approaching the court at a belated stage simply on the ground of parity, equity, sympathy and compassion

In **Basawaraj and Anr. vs. Special Land Acquisition Officer(2013) 14 SCC 81** , this Court held that the discretion to condone the delay has to be exercised judiciously based upon the facts and circumstances of each case. The expression 'sufficient cause' as occurring in Section 5 of the Limitation Act cannot be liberally interpreted if negligence, inaction or lack of bona fide is writ large. It was also observed that even though limitation may harshly affect rights of the parties but it has to be applied with all its rigour as prescribed under the statute as the courts have no choice but to apply the law as it stands and they have no power to condone the delay on equitable grounds.

(15) परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची 122 का प्रावधान- उपसंजाति में व्यतिक्रम के कारण या अभियोजन के अभाव के कारण या आदेशिका की तामील के खर्चे में देने में असफलता या खर्चे के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण खारिज किये गये वाद या अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन का प्रत्यावर्तन कराने के लिए। अनुसूची 122 में परिसीमा का तीस दिन खारिज होने की दिनांक से आरंभ होता है। उपरोक्त सभी प्रकरणों में तीस दिन के बाद प्रकरण संस्थित किया जा सकता है जिसमें कोई भी सद्भाविक कारण होना चाहिए, परंतु उपरोक्त सभी प्रकरणों में कोई भी सद्भाविक कारण उल्लेखित नहीं है।

(16) अतः उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि कानून उनकी रक्षा करता है जो सतर्क है, न कि उनकी जो अपने अधिकारों पर सोते हैं, लैटिन कहावत

विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनियंट में व्यक्त किया गया है, जिसका अनुवाद है **"कानून केवल उन लोगों की सहायता करता है जो सतर्क है, न कि उनकी जो अपने अधिकारों पर सोते हैं ।"**

(17) इस आदेश में संलग्न तालिका में उल्लेखित प्रकरण के संबंध में यह स्पष्ट हो रहा है कि वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत 18 प्रकरणों में से किसी में भी विलंब का कारण स्पष्ट नहीं कराया गया है और न ही ऐसे सुसंगत दस्तावेज, साक्ष्य प्रकरण में संलग्न किये गये है जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त विलंब वाजिब कारण से किया गया है जिससे वादी/आवेदक को उनके विलंब कारित करने के उपरांत उनके अधिकारों के लिए इस न्यायालय द्वारा लाभ दिया जा सके ।

(18) परिणामतः उपरोक्त समस्त विश्लेषण उपरांत श्री दीपक कुमार कोशले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01, रायगढ़ द्वारा विविध व्यवहार वाद क्रमाँक 33/15 (श्रीमती प्रतिभा पण्डा विरूद्ध अरविंद कुमार पण्डा वगैरह) में दिनांक 03.09.2022 को पारित आक्षिप्त आदेश विधिसंगत होने से पुष्ट किया जाता है और अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत **विविध सिविल अपील सारहीन होने से निरस्त** की जाती है ।

आदेश पारित किया गया।

सही/-

(विरेन्द्र)

चतुर्थ जिला न्यायाधीश

रायगढ़ (छ.ग.)

स्थान- रायगढ़

दिनांक-19.12.2024

Visit **ecourts.gov.in** for updates or download mobile app "**eCourts Services**" from Android or iOS

प्रतिलिपि -

न्यायालय- श्री दीपक कुमार कोशले, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01, रायगढ़ द्वारा विविध व्यवहार वाद क्रमाँक 33/15 (श्रीमती प्रतिभा पण्डा विरूद्ध अरविंद कुमार पण्डा वगैरह) में दिनांक 03.09.2022 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

स्थान- रायगढ़

दिनांक-19.12.2024

(विरेन्द्र)

चतुर्थ जिला न्यायाधीश

रायगढ़ (छ.ग.)